(ख) इस प्रकार की रियायतें देने वाले बैंकों के नाम क्या हैं और इस बारे में क्या ब्यौरा है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में, उनके द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर आम तौर पर कई बातों पर निर्भर होती है, जैसे ऋण के लिए उपलब्ध जमानत, ऋण देने का प्रयोजन, पार्टी की साख और उसका पूर्ववृत । इस प्रयोजन के लिए, उधारकर्ताओं का बड़े और छोटे पूंजीपतियों के रूप में वर्गीकरण नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बैंकों के डायरेक्टरों द्वारा पूंजी का उपयोग

3488. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य खातेदारों की तुलना में भारतीय बैंकों के डायरेक्टरों द्वारा अपने निजी उद्योगों के लिये इन बैंकों की कितने प्रतिशत पूंजी का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में बैंकवार ब्यौरा क्या है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य विभिन्न बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों के सम्बद्ध प्रतिशत अनुपात की जानकारी चाहते हैं। इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया देखिये** संख्या LT–421/68] ।

आदिवासियों को शिक्षा की सुविधायें

3489. **श्री लाखन लाल गुप्त :**
श्री अ० सि० सहगल :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधायें बढ़ाने से उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को एक विशेष योजना प्रस्तुत की है और उसे कार्यान्वित करने के लिये विशेष वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगा गया अनुपूरक अनुदान देने के लिये सहमत हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुहा). (क) से (ग) वार्षिक योजना के विवेचन के समय कार्यक्रमों के ब्यौरे तथा वित्तीय नियतन के विषय में राज्य प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर लिया जाता है; तो भी समय समय पर कई राज्य अतिरिक्त राशियों की मांग पेश करते हैं। योजना आयोग से विचार विमर्श करके कार्यक्रमों के लिये नियत राशियों को अन्तिम रूप दिया जाता है और उन्हें बजट प्राक्कलन में समाविष्ट कर लिया जाता है।

संसद द्वारा विभाग के बजट का अनुमोदन होने के पश्चात् राज्यों द्वारा की गई मांगों के सम्बन्ध में कार्यक्रमों में छोटे परिवर्तनों, जिनके विषय में पुनर्विनियोग हो सकता है को छोड़ कर प्राय: नई और बड़ी मांगों को मानना शक्य नहीं होता।

अत: आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल और छात्रावास खोलने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के बड़े नियतन के प्रस्तावों को 1966-67 तथा 1967-68 के बजट अनुदानों में नहीं रखा जा सका।

गोरा में नर्मदा नदी पर बांध

3490. **श्री लाखन लाल गुप्त :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 14 दिसम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० आर० एल०-162 और विस्तृत बुनियाद वाले-310.00 फुट ऊंचे बांध वाली भड़ौच (नर्मदा) परियोजना (प्रथम चरण) के गोरा बांध को स्वीकृति देने से पूर्व केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की सलाह ली थी; और

(ख) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश सरकार की सलाह किन कारणों से नहीं ली गई थी।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु०ल० राव) : (क) और (ख). ब्रोच-गोरा परियोजना के प्रथम चरण की स्वीकृति देते समय मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति लेने का प्रश्न ही नहीं उठा, क्योंकि इस परियोजना से न तो मध्य प्रदेश की कोई कृष्य भूमि जल-मग्न होनी थी और न ही इस से मध्य प्रदेश में पानी के उपयोग पर कोई असर पड़ता था।

UNACCOUNTED MONEY WITH FILM PEOPLE

3491. SHRI K. N. PANDEY :
SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH :

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 864 on the 16th November, 1967 and state:

(a) whether the investigations in respect of the raid conducted on the offices of film distributors in Bombay have since been completed;

(b) if so, the names of film stars included therein; and

(c) the action taken against them ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

TAX EVASION BY FILM STAR

3492. SHRI K. N. PANDEY: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4391 on the 14th December, 1967 and state:

(a) whether the said information regarding tax evasion by a Film Star, Shri Rajendra Kumar, has since been collected; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) Details are given in the statement laid on the Table of the House [*Placed in library. See* No. LT-422/68].

TARIFF FOR GENERAL INSURANCE

3493. SHRI A. K. GOPALAN:
SHRI JYOTIRMOY BASU:
SHRI P. GOPALAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) who are the authors of the Tariff for General Insurance in the country;

(b) how much say Government have in formulating its rates and policies; and

(c) whether it is done purely on profit making policy basis?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The General Insurance Council, through its Tariff Committee, regulates the tariff rates in General Insurance business. Both are statutory bodies set up under the Insurance Act, 1948.

(b) As the Act stands at present, the Government has no powers to fix or alter the rates;

(c) Though there would be a margin for profits, the rates are based on the risk insured.

MERGER OF DEARNESS ALLOWANCE WITH PAY

3494. SHRI MOHAMMAD ISMAIL:
SHRI K. RAMANI:
SHRI P. RAMAMURTI:
SHRI K. M. ABRAHAM:
SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state: